संख्या- 82 /2026/1763/26-3-2026-1353690

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 05 जून 2026

विषय - **चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के संचालन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-566-67/01/स0क0/ए0टी0एस0/बजट स्वीकृति/अनुसं0-83/2026-27 दिनांक 23-09-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के सुचारू रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आगामी नौ माह हेतु धनराशि रू0 29044.250 लाख (रू0 दो अरब नब्बे करोड़ चौवालीस लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-67/2026/1246/26-3-2026-1353690, दिनांक 28-04-2026 द्वारा जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के सुचारू रूप से संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 38725.67 लाख के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु धनराशि रू0 9681.42 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के सुचारू रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 38725.67 लाख के सापेक्ष आगामी नौ माह हेतु **अवशेष धनराशि रू0 29044.250 लाख (रू0 दो अरब नब्बे करोड़ चौवालीस लाख पच्चीस हजार मात्र)** की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

क्र0सं0	**मद का नाम**	**वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्राविधानित धनराशि**	**वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम त्रैमास हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि**	**वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवशेष नौ माह हेतु निर्गत धनराशि**
1	01-वेतन	2300.00	575.00	1725.00
2	02-मजदूरी	400.00	100.00	300.00
3	03-मंहगाई भत्ता	1495.00	373.75	1121.25

4	04-यात्रा व्यय	4.29	1.08	3.21
5	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.73	0.43	1.30
6	06-अन्य भत्ते	1.00	0.25	0.75
7	07-मानदेय	1.00	0.25	0.75
8	08-कार्यालय व्यय	94.00	23.50	70.50
9	09-विद्युत देय	900.00	225.00	675.00
10	10-जलकर / जल प्रभार	10.00	2.50	7.50
11	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.00	2.50	7.50
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100.00	25.00	75.00
13	13-टेलीफोन पर व्यय	2.00	0.50	1.50
14	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.00	0.50	1.50
15	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	1.00	0.25	0.75
16	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10.00	2.50	7.50
17	29-अनुरक्षण	1200.00	300.00	900.00
18	39-औषधि तथा रसायन	140.00	35.00	105.00
19	41-भोजन व्यय	13600.00	3400.00	10200.00
20	42-अन्य व्यय	350.00	87.50	262.50
21	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	4000.00	1000.00	3000.00
22	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.45	0.36	1.09
23	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	22.00	5.50	16.50
24	49-चिकित्सा व्यय	25.00	6.25	18.75
25	51-वर्दी व्यय	5.00	1.25	3.75
26	55-मकान किराया भत्ता	50.20	12.55	37.65
27	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	14000.00	3500.00	10500.00
	योग-	**38725.67**	**9681.42**	**29044.25**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2026-27 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर

पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनॉंक 28-03-2026, में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनॉंक 28-03-2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 29-04-2026
18:16:37

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।